[2010] 13 (एडीडीएल.) एस.सी.आर. 368 सुब्रत दास वी.

झारखंड राज्य एवं अन्य।

(आपराधिक अपील संख्या 1153 वर्ष 2004 का)

22 अक्टूबर, 2010

[मार्कंडेय काटजू और टी.एस. ठाकुर, जे.जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973- एस. 482 - आईपीसी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत शिकायत - प्रारंभ में।मजिस्ट्रेट ने अभियुक्तों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला नहीं पाया - बाद में, पुनरीक्षण अदालत द्वारा मामले को रिमांड पर लिए जाने पर, उन्होंने उन गवाहों से नए सिरे से पूछताछ की जिनकी पहले ही जांच की जा चुकी थी और माना गया कि प्रथम दृष्टया अभियुक्तों के खिलाफ मामला बनता है - पुनरीक्षण अदालत ने बरकरार रखा मैजिस ट्रेट का आदेश - कार्यवाही को रद्द करने की याचिका, उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई - अपील पर, माना गया: उच्च न्यायालय ने सही ढंग से कार्यवाही को रद्द नहीं किया - शक्ति का दायरा यू/एस। 482 सीमित है और उच्च न्यायालय द्वारा संयमित रूप से इसका प्रयोग किया जा सकता है - तथ्यों के आधार पर, अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है - पहले से जांचे गए गवाहों की नए सिरे से जांच करने में मजिस्ट्रेट द्वारा की गई गलती, कार्यवाही को ख़राब नहीं करेगी - दंड संहिता, 1860 - एस.एस. 341, 323, 506 और 384 - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एस.एस. 3(1) और 2(vii).

प्रतिवादी नंबर 2 ने आईपीसी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत अपराध करने का आरोप लगाते हुए अपीलकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज की। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने माना कि कोई मामला नहीं बनता है। पुनरीक्षण में, सत्र न्यायाधीश ने मामले को नए सिरे से समीक्षा करने के लिए मजिस्ट्रेट को भेज दिया। सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित रिमांड के आदेश को उच्च न्यायालय ने आगे की जांच के एक भाग के रूप में मानते हुए बरकरार रखा।

मजिस्ट्रेट ने अपने सामने पहले से जांचे गए गवाहों के बयान नए सिरे से दर्ज किए और निष्कर्ष निकाला कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है। पुनरीक्षण में, सत्र न्यायाधीश ने मजिस्ट्रेट के निष्कर्ष को बरकरार रखा। अपीलकर्ता ने एक याचिका दायर की। 482 सी.आर.पी.सी., जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। इसलिए, तत्काल अपील दायर की गई थी। अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने कहा:

1.1 विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति उच्च न्यायालय में निहित है। चल रही जांच, शिकायत या अन्य कार्यवाही को रद्द करने के

लिए केवल उन मामलों में आवेदन किया जा सकता है जहां या तो कार्यवाही जारी रखने में कानूनी बाधा है जैसे कि जहां आवश्यक हो वहां मंजूरी का अभाव या जहां शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिए गए कथन भले ही उनके अंकित मूल्य पर स्वीकार कर लिया जाए तो कोई अपराध नहीं बनता है या जहां अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोप का समर्थन करने के लिए कोई कानूनी सबूत नहीं है। यह भी काफी हद तक तय है कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय में निहित शक्तियां। इसे संयमित ढंग से प्रयोग किया जाना चाहिए और अदालत को यह पता लगाने के लिए उपलब्ध साक्ष्य या सामग्री की सराहना करने के लिए नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ लगाया गया आरोप साबित हुआ है या नहीं। (पैरा 5] [373-डी-जी]

अरुण शंकर शुक्ला बनाम यूपी राज्य और अन्य। एआईआर 1999 एससी 2554; पंजाब राज्य बनाम कस्तूरी लाल और अन्य। 2004 सीआरएल.एल.जे.3866; कर्माटक राज्य बनाम एम. देवेन्द्रप्पा और अन्य। (2002) 3 एससीसी 89; केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम के.एम. शरण 2008 (4) एससीसी 471; हरियाणा राज्य और अन्य। वी. भजन लाल और अन्य। 1992 सप्ल. 1 एससीसी 335; आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य (1960) 3 एससीआर 388 - संदर्भित।

2.1अ द्वारा दायर की गई शिकायत का स्पष्ट पाठ मौजूदा मामले में शिकायतकर्ता आरोपी के खिलाफ मामला बनाता है। शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत के समर्थन में जांचे गए तीन गवाहों के बयान भी शिकायत में लगाए गए आरोपों का समर्थन करते हैं। इसलिए, मजिस्ट्रेट का अपीलकर्ता और सह-अभियुक्तों के खिलाफ संज्ञान लेना उचित था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की पुनरीक्षण अदालत भी यह मानने में सही थी कि प्रक्रिया जारी करने का मामला बनाया गया है। ऐसी स्थिति होने पर, उच्च न्यायालय ने धारा के तहत हस्तक्षेप करने से इनकार करने में कोई त्रुटि नहीं की। सीआरपीसी की धारा 482 (पैरा 7] [374-बी-डी]

2.2 आगे की जांच करने के लिए मामले को मजिस्ट्रेट के पास वापस भेजने के सत्र न्यायालय के पहले के निर्देश, मजिस्ट्रेट को मामले में कोई और सबूत दर्ज करने के लिए बाध्य नहीं करते थे। की प्रकृति जांच मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर थी जिसमें शिकायतकर्ता की ओर से अतिरिक्त साक्ष्य की रिकॉर्डिंग शामिल हो भी सकती है और नहीं भी, मजिस्ट्रेट मामले में कोई और साक्ष्य दर्ज किए बिना शिकायत में दिए गए कथनों और पहले से ही रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है। यह निर्धारित करें कि क्या आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया

था। वर्तमान मामले में मजिस्ट्रेट ने गवाहों को बुलाया और उनसे नए सिरे से पूछताछ की, हो सकता है कि वह कानूनी तौर पर जो करना आवश्यक था उससे आगे निकल गया हो, लेकिन यह मानने का कोई कारण नहीं है कि मजिस्ट्रेट द्वारा साक्ष्य की रिकॉर्डिंग को एक भाग के रूप में दर्ज किया जाए। उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित आगे की जांच उसके समक्ष कार्यवाही या ऐसी किसी भी जांच के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष को ख़राब कर देगी। जब तक मजिस्ट्रेट संतुष्ट था कि प्रथम

दृष्टया मामला बन गया है, वह आरोपी को समन जारी करने में सक्षम था। [पैरा 9] [374-जी-एच; 375- ए-सी]

गुरदयाल सिंह बनाम करतार सिंह और अन्य। 1980 करोड़. एल.जे. 955 संदर्भित।

केस कानून संदर्भ:

ए.आई.आर (1999) एससी 2554 पैरा 6 संदर्भित

(2004) सीआरएल.एल.जे. 3866 पैरा 6 को संदर्भित

(2002) 3 एससीसी 89 पैरा 6 को संदर्भित

(2008) 4 एससीसी 471 पैरा 6 को संदर्भित

(1992) पूरक। 1 एससीसी 335 पैरा 6

(1960) से संदर्भित 3 एससीआर 388 पैरा 6

(1980) सीआरएल से संदर्भित। एल.जे. 955 पैरा 8

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का संदर्भ: 2004 की आपराधिक अपील संख्या 1153।

सी.आर.पी.सी में झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के दिनांक 12.12.2003 के निर्णय एवं आदेश से। एम.पी। 2003 की संख्या 386.

राकेश द्विवेदी, एम.के. अपीलकर्ता के लिए दुआ.

प्रतिवादियों की ओर से गोपाल प्रसाद।

न्यायालय का निर्णय द्वारा सुनाया गया था ।

सुब्रत दास बनाम झारखंड राज्य और ए. एन. आर.371

टी.एस. ठाकुर, जे. 1. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील रांची में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत धारा 482 सीआरपीसी के तहत एक याचिका दायर की गई है। अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धनबाद द्वारा 2002 के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 229 में पारित आदेश दिनांक 20 मार्च, 2003 को बरकरार रखा गया है। उच्च न्यायालय ने यह विचार किया है कि चूंकि नीचे की दो अदालतों ने समवर्ती रूप से माना था कि धारा 341, 323 और 506 आईपीसी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की धारा 3 (i) (%) और 2 (vii) के तहत प्रथम दृष्टया मामला है। अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 याचिकाकर्ता (यहां अपीलकर्ता) के खिलाफ बनाया गया था, यह एक उपयुक्त मामला नहीं था जिसमें मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही को रद्द किया जा सकता था। विवाद निम्नलिखित पृष्ठभूमि में उत्पन्न होता है:

2. ए शिकायतकर्ता-प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धनबाद के समक्ष अपीलकर्ता और एक श्री डी.बी. के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। टिस्को जामाडोबा कोलियरी, जिला धनबाद के प्रबंधक रमन ने आईपीसी की धारा 341, 323, 506 और 384 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित

जनजाति (अत्याचार निवारण) की धारा 3 (1) और (2) (vii) के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया। अधिनियम, 1989. शिकायत के समर्थन में अदालत द्वारा शिकायतकर्ता और तीन अन्य गवाहों, अनिल भगती, राम प्रसाद और कृष्णा मंडल के बयान दर्ज किए गए। हालांकि, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आरोपियों के खिलाफ लगाए गए कोई भी आरोप सही साबित नहीं हुए जिसके आधार पर कार्रवाई की मांग की जा सके। तदनुसार शिकायत खारिज कर दी गई।

3. अपने मामले को खारिज करने से दुखी होकर, शिकायतकर्ता ने 5वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धनबाद के समक्ष एक पुनरीक्षण दायर किया, जिन्होंने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य सहित मामले की विस्तार से जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वास्तव में प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोपी के खिलाफ. तदनुसार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों और कानून के प्रासंगिक प्रावधानों पर गौर करने के बाद मामले को "नए सिरे से समीक्षा" करने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धनबाद को वापस भेज दिया गया। इसके बाद अपीलकर्ता सहित अभियुक्तों द्वारा रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण दायर किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया गया था

कि चूंकि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास अपने आदेशों की समीक्षा करने की कोई शक्ति नहीं थी, इसलिए 5वीं अदालत द्वारा जारी निर्देश अपर सत्र न्यायाधीश, धनबाद, कानूनी रूप से गलत थे। हालांकि, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 5वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा जारी निर्देश सीआरपीसी की धारा 398 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आगे की जांच करने का निर्देश था।

4. जब मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास वापस गया तो उन्होंने शिकायतकर्ता की गवाही दर्ज की गवाह भी नए सिरे से बनाए और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है। तदनुसार आरोपी व्यक्तियों को समन जारी करने का निर्देश दिया गया।जिससे व्यथित होकर अपीलकर्ता ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जो असफल रही और खारिज कर दी गई, अन्य बातों के अलावा, यह मानते हुए कि निचली अदालत के समक्ष रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है और कोई कानूनी कमजोरी नहीं थी। आदेश में आरोपी व्यक्तियों को समन जारी करने का निर्देश दिया गया है। अपीलकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक याचिका दायर की। झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के समक्ष, जिसे इस अपील में दिए गए आदेश द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था।

5. हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है, लेकिन चुनौती के तहत आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला। इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला से यह काफी हद तक

तय हो गया है कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति उच्च न्यायालय में निहित है। चल रही जांच, शिकायत या अन्य कार्यवाही को रद्द करने के लिए केवल उन मामलों में आवेदन किया जा सकता है जहां या तो बार कार्यवाही जारी रखने में कानूनी बाधा है जैसे कि जहां आवश्यक हो वहां मंजूरी का अभाव या जहां शिकायत या प्रथम सूचना में दिए गए दावे रिपोर्ट भले ही उनके अंकित मूल्य पर स्वीकार कर ली जाए, कोई अपराध नहीं बनती है या जहां अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोप का समर्थन करने के लिए कोई कानूनी सबूत नहीं है। यह भी काफी हद तक तय है कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय में निहित शक्तियां। इसे संयमित ढंग से प्रयोग किया जाना चाहिए और अदालत को यह पता लगाने के लिए उपलब्ध साक्ष्य या सामग्री की सराहना करने के लिए नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ लगाया गया आरोप साबित हुआ है या नहीं।

सुब्रत दास बनाम झारखंड राज्य एवं ए.एन.आर. 373

[टी.एस. ठाकुर, जे.]

6. अरुण शंकर शुक्ला बनाम यूपी राज्य देखें। एवं अन्य. ए.आई.आर. 1999 एससी 2554, पंजाब राज्य बनाम कस्तूरी लाल और अन्य। 2004 सी.आर.एल.एल.जे. 3866, कर्नाटक राज्य बनाम एम. देवेन्द्रप्पा और अन्य। (2002) 3 एस.सी.सी.89 और केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम के.एम.
शरण 2008 (4) एससीसी 471, हरियाणा राज्य और अन्य। वी. भजन लाल एवं अन्य, 1992 सप्लि. 1 एससीसी 335 और आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य (1960) 3 एससीआर 388।

7. अ मौजूदा मामले में शिकायतकर्ता द्वारा दायर की गई शिकायत को पढ़ने से आरोपी के खिलाफ मामला बनता है। इतना ही नहीं शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत के समर्थन में जांचे गए तीन गवाहों के बयान भी शिकायत में लगाए गए आरोपों का समर्थन करते हैं। इसलिए, मजिस्ट्रेट का अपीलकर्ता और सह-अभियुक्तों के खिलाफ संज्ञान लेना उचित था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धनबाद के पुनरीक्षण न्यायालय का भी यह मानना सही था कि प्रक्रिया जारी करने का मामला बनाया गया है। ऐसी स्थिति होने पर उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हस्तक्षेप करने से इनकार करने में कोई त्रुटि नहीं की। न ही हमारे लिए उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण अपनाने के लिए बाध्य करने वाला कोई कारण है।

8. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले को आगे की जांच के लिए उनके पास वापस भेजे जाने के बाद गवाहों को वापस बुलाने और उनकी नए सिरे से जांच करने में त्रुटि की थी। यह तर्क दिया गया कि आगे की जांच के निर्देश का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि मजिस्ट्रेट को उसके सामने पहले ही जांचे गए गवाहों के बयानों को नए सिरे से दर्ज करना होगा। वर्तमान मामले में मजिस्ट्रेट ने जितनी गलती की, उसने एक गलती की जो उसके द्वारा पारित आदेश को ख़राब करने के लिए पर्याप्त थी।विद्वान वकील द्वारा गुरदयाल सिंह बनाम करतार

सिंह और अन्य में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एकल पीठ के फैसले से समर्थन लिया गया था। 1980 करोड़. एल.जे. 955.

9. जैसा कि हमने पहले देखा था मामला आगे की जांच के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को वापस भेज दिया गया था।उस निर्देश ने मजिस्ट्रेट को मामले में कोई और सबूत दर्ज करने के लिए बाध्य नहीं किया। जांच की प्रकृति मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर थी जिसमें शिकायतकर्ता की ओर से अतिरिक्त साक्ष्य की रिकॉर्डिंग शामिल हो भी सकती है और नहीं भी। मजिस्ट्रेट बिना कोई और रिकार्डिंग किये ऐसा कर सकता था

शिकायत कथनों में दिए गए सबूत मामले में और पहले से ही रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का पुनर्मूल्यांकन करते हैं ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया था या नहीं। वर्तमान मामले में मजिस्ट्रेट ने गवाहों को बुलाया और उनकी नए सिरे से जांच की, हो सकता है कि वह कानूनी तौर पर जो करना आवश्यक था उससे आगे निकल गया हो, लेकिन यह मानने का कोई कारण नहीं है कि मजिस्ट्रेट द्वारा साक्ष्य की रिकॉर्डिंग को एक भाग के रूप में दर्ज किया जाए। उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित आगे की जांच उसके समक्ष कार्यवाही या ऐसी किसी भी जांच के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष को ख़राब कर देगी। जब तक मजिस्ट्रेट संतुष्ट था कि प्रथम दृष्टया मामला बन गया है, वह आरोपी को समन जारी करने में सक्षम था।सभी ने बताया, अपीलकर्ता द्वारा बताई गई कथित त्रुटि उस प्रकार की नहीं है जो हमें इस स्तर पर कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित करेगी। परिणामस्वरूप यह अपील विफल हो जाती है और इसे खारिज कर दिया जाता है।

के.के.टी.अपील खारिज.

<u>यह अनुवाद किरण शंकर मिश्रा, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है।</u>